दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण

3635. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त भूमि में से कितनी भूमि का उपयोग किया गया है;

(ग) कुल कितने भूमि क्षेत्र पर अनधिकृत कब्जा है; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इसे अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिये क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) डीडीए ने बताया है कि अब तक 59542.78 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके उन्हें सौंपा जा चुका है।

(ख) अब तक डीडीए द्वारा 47670 एकड़ भूमि का उपयोग किया जा चुका है।

(ग) 31.12.96 की स्थिति के अनुसार 1790.53 एकड़ भूमि क्षेत्र पर अतिक्रमण है।

(घ) अवैध कब्जों को हटाना एक सतत प्रक्रिया है और इनको गिराने के लिए स्थानीय पुलिस की सहायता से नियमित कार्यक्रम बनाए जाते रहे हैं। गत तीन वर्षों के दौरान डीडीए ने 740.38 एकड़ भूमि क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त किया है।

Accommodation to employees transferred from Delhi Administration to Central Government

3636. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that accommodation of Delhi Administration can be retained by the Government employees under normal terms, even after transfer from Delhi Administration to Central Government Offices at Delhi, till alternate accommodation is allotted by the Directorate of Estates;

(b) if so, the details thereof, alongwith the relevant Order number;

(c) the details of adhoc allotments made by the Directorate of Estates to the employees who were transferred from Delhi Administration to Central Government Offices in Delhi since 1990; and

(d) the details of adhoc allotments made by the Land and Buildings Department of Delhi Administration to the employees who were transferred from Central Government Offices to Delhi Administration, since 1990?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) Yes, Sir.

(b) As per provisions of O.M. No. 12024(2)/67-Pol-II dated 2.4.76, when an employee, occupying accommodation of the Delhi Administration, is required to vacate it on his posting to a Central Government office eligible for allotment of accommodation from the general pool, an adhoc allotment to him will be considered in his entitled type if his priority date has been covered or, otherwise in the next below type. Till such allotment is made to an officer, he will continue to retain the accommodation in his occupation on normal terms. Similarly, when a Central Government employee, is transferred to the Delhi Administration, the latter would provide accommodation from their own pool.

(c) No such separate department-wise statistics are maintained by this Ministry.

(d) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

राज्यों में चुंगी को समाप्त किया जाना

3637. **श्री राघवजी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों ने चुंगी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है;

(ख) क्या सरकार ने शेष राज्यों में भी चुंगी को समाप्त करने के लिये कोई पहल की है;

(ग) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) उन राज्यों के नाम, जो चुंगी नहीं लगा रहे हैं, संलग्न विवरण में हैं (नीचे देखिए)।

(ख) और (ग) स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग अथवा बिक्री के लिए सामानों की आमद पर कर प्रभार लगाना संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 52 में पड़ती है। इसके आलोक में यह राज्य सरकारें का कार्य है कि चुंगी को समाप्त करने के प्रश्न की जांच करें क्योंकि यह उनके क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि इस मंत्रालय द्वारा 1985 में गठित एक समिति द्वारा चुंगी के संबंध में विचार किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में चुंगी को आंशिक रूप से समाप्त करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को परिचालित की गयी थी।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन राज्यों का ब्यौरा जहां चुंगी नहीं लगायी जाती

क्र० सं०	राज्यों के नाम जहां चुंगी नहीं लगायी जाती
1.	आन्ध्र प्रदेश
2.	असम
3.	बिहार
4.	हिमाचल प्रदेश
5.	जम्मू और कश्मीर
6.	कर्नाटक
7.	केरल
8.	मिजोरम
9.	मेघालय
10.	तमिल नाडु
11.	त्रिपुरा
12.	उत्तर प्रदेश
13.	पश्चिम बंगाल
14.	सिक्किम
15.	मणिपुर (उम्फाल को छोड़कर जहां चुंगी लगायी जा रही है)
16.	राजस्थान
17.	नागालैण्ड
18.	मध्य प्रदेश राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त नहीं हुई
19.	अरूणाचल प्रदेश

Government quarters declared damaged in Delhi

3638. SHRI RAJNATH SINGH:
SHRIMATI MALTI SHARMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of Government quarters in Delhi, area-wise declared 'damaged' by CPWD during the last three years;

(b) whether Government propose to get these quarters vacated;

(c) if so, the steps taken in this regard;

(d) what are the details of the criteria laid down for declaration of Government quarters as 'damaged';

(e) the steps taken by Government to repair these quarters and by when they are likely to be cleared for allotment;

(f) whether Government have taken any steps to prevent any mishaps to the inhabitants of these quarters; and

(g) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) As per statement-I attached (*see* below).

(b) Yes, Sir.